



आदेश दिनांक - 25.4.19
आदेश पत्रक



न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अयोध्या, जनपद : बाराबंकी, तहसील : फतेहपुर
वाद संख्या : 5384/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T201841248035384
मीथरी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा : 80, अधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद संख्या 13 (वर्ष 2019)

अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0 राजस्व
संहिता, 2006 नियमावली-2016
ग्राम-अमरसन्डा परगना- कुर्सी
तहसील फतेहपुर जिला- बाराबंकी।
ग्राम पंचायत

गाधुरी देवी

बनाम
आदेश

प्रस्तुत वाद गाधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती गाधुरी सिंह, पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्तमान खतीनी, सर्किल रेट सूची, खसरा, सहखातेदार द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र संलग्न करते हुए दिनांक 05.11.2018 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, प्रत्यावेदन में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की खाता सं0 00221 की गाटा सं0 1151क/1.012हे0, व 1151/2 रकबा 0.506हे0 कुल दो किता रकबा 1.518हे0 मा0गु0 12.50 रुपया स्थित ग्राम बहरीली परगना कुर्सी में आवेदक गाधुरी देवी के साथ-साथ महबूब अली पुत्र मो0 शफी व आवेदक इरटींदयूट अमरसन्डा न्यासी विशाल जैन पुत्र राजेश कुमार जैन संयुक्त रूप से संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूखण्डों वाली का 1/5 भाग अर्थात् 0.8114हे0 है, जिसमें से गाटा संख्या 1151क/1.012हे0 में से प्राथिनी 0.607हे0 न गाटा सं0 1151/2 रकबा 0.506हे0 में से 0.202हे0 कुल दो किता रकबा 0.809हे0 पर संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार अर्द्धनिर्मित भवन, स्कूल हेतु ग्रीन पार्क व खेल का मैदान व भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार उक्त रकबे में बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक/अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 के क्रम में तहसीलदार फतेहपुर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। जांच आख्या दिनांक 16.04.2019 के अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की गाटा सं0 1151क/1.012हे0, व 1151/2 रकबा 0.506हे0 कुल दो किता रकबा 1.518हे0 मा0गु0 12.50 रुपया पर गाधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती गाधुरी सिंह पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ का नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त भूखण्डों पर कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानकरण आदि किया जाता नहीं पाया गया है। इस भूखण्ड में गाधुरी देवी शिक्षण संस्थान की बाउन्ड्रीवाल, अंश भाग पर भवन निर्माण तथा शेष भाग पर पिलर खड़ा करके चिह्नित किया गया है। आवेदित क्षेत्रफल अकृषिक उपयोग में होने के कारण गाटा सं0 1151क में 0.607हे0 व गाटा सं0 1151/2 में 0.202हे0 अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जबकि तहसीलदार फतेहपुर ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की आख्याओं सहित संलग्न नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। स्थलीय परीक्षण भी किया गया। प्रश्नगत भूमि का लगभग 0.250हे0 भाग पर निर्मित क्षेत्रफल है। अतः 0.250हे0 को धारा 80(1) रा0सं0 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति दी जाती है। शेष क्षेत्रफल 0.559हे0 न तो निर्मित क्षेत्रफल न ही चार दीवारी से अर्न्तगृह्य है जैसा कि लेखपाल द्वारा संलग्न नजरी नक्शे से भी स्पष्ट है। इस

क्रमशः..... 2 पर



257.00

25.4.19

PR: 6m13/18

NR: 18

पृष्ठ संख्या :

भाग पर मात्र अस्थाई पिलर खड़े किये गये हैं। अतः इस भाग को राजस्व संहिता 2006 को धारा 80(1) अथवा 80(2) के तहत अकृषिक घोषित करना उचित नहीं होगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि तहसीलदार फतेहपुर द्वारा जांच आख्या दिनांक 28.12.2018 में राजस्व निरीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए उक्त गाटा को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। इस प्रकार तहसीलदार की दोनो आख्याएं भ्रामक होने के कारण क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पुनः स्थलीय नजरी नवशा व मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्ता की गयी जिसमें स्पष्ट किया गया है कि गाटा सं० 1151क में विद्यालय भवन पुराना बना हुआ है तथा गाडी पार्किंग हेतु, ग्रीन पार्क हेतु, प्रस्तावित है तथा अर्द्धनिर्मित भवन बना है। गाटा सं० 1151/2 में खेल का मैदान व पेयजल की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसे पूरे प्रस्तावित क्षेत्रफल को पिलर के माध्यम से रेखांकित किया गया है। संलग्न रंगीन फोटो में भी स्पष्ट रूप से भवन निर्मित होना प्रदर्शित है। इस प्रकार अभिलेखों तथा राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि गाटा सं० 1151क/1.012हे० में से प्रार्थिनी अपने हिस्से को रकबा 0.607हे० तथा गाटा सं० 1151/2 रकबा 0.506हे० में से प्रार्थिनी माधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ द्वारा अर्द्धनिर्मित भवन, वाहन पार्किंग, खेल मैदान, ग्रीन पार्क आदि बनाकर अकृषिक उपयोग में लाया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में मौके के अनुसार नजरी नवशा व रंगीन फोटो साक्ष्य स्वरूप संलग्न किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि अकृषिक प्रयोजनार्थ उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो इस प्रकार है:-

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम व पिला का नाम व पता	खतीनी खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्र	मा० गु०	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन के लिए खाता या उसका कोई भाग जिसमें भूमि प्रयुक्त की जा रही है।	विशिष्ट दिटर व
1	2	3	4	5	6	गाटा सं० क्षेत्रफल	7 8 9
अमरसन्डा	माधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ	00221	1151क 11.51/2 2 किला	1.012 0.506 1.518	12.50	1151क 11.51/2 गौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि पर अर्द्धनिर्मित भवन, वाहन पार्किंग, खेल मैदान, ग्रीन पार्क आदि बनाकर अकृषिक उपयोग में लाया जा रहा है।	

उक्तानुसार सारणी में प्रदर्शित भूखण्डों के समक्ष अंकित रकबा 0.809हे० को माधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ के पक्ष में गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या नायब तहसीलदार द्वारा संस्तुति सहित सम्प्रेषित की गयी है। चूंकि वादी द्वारा वाद स्वयं योजित किया गया है ऐसी स्थिति में नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य तथा तहसीलदार फतेहपुर की जांच आख्या दिनांक 16.04.2019 का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया, जिससे सिद्धित है कि ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की गाटा सं० 1151क/1.012हे० में से प्रार्थिनी अपने अंश भाग रकबा 0.607हे० व 1151/2/0.506हे० में से 0.202हे० अंश भाग अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित जांच आख्या में उल्लिखित किया गया कि चार दीवारी न होने, अस्थाई पिलर होने तथा रिक्त रकबा को अकृषिक घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में कथन किया गया है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पुनः मौके की जांच कराई गई तथा नजरी नवशा व प्रमाणित फोटो भी संलग्न

क्रमशः..... 3 पर

पृष्ठ संख्या :

कराये गये, जिससे यह प्रतीत होता है कि रिक्त पडी भूमि में वाहन पार्किंग, ग्रीन पार्क, खेल का मैदान व अर्द्धनिर्मित भवन होने सम्बन्धी सामग्री मौके पर पडी हुई है, जो संलग्न मौके की फोटो से स्पष्ट है, जिससे वादग्रस्त रकबा अकृषिक होना सिद्ध है और तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि विद्यालय में भवन के साथ-साथ खेल मैदान, ग्रीन पार्क, पार्किंग, रोड आदि अन्य सुविधाओं हेतु रिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। प्रश्नगत भूखण्ड के सहयातेदार महबूब अली व अय्यूब अली पुत्रगण मो० शफी निवासी असारनगर मजरे अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि गाटा सं० 1151क/1.012 व 1151/2 रकबा 0.506हे० में प्रार्थिनी माधुरी सिंह पत्नी कन्हैयालाल सिंह द्वारा अपने अंश भाग 0.809हे० को अकृषिक घोषित करा लेती है तो हम लोगो को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 एवं नियमावली फरवरी, 2016 की धारा 85(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित अकृषिक उदघोषणा शुल्क धनराशि का एक प्रतिशत रूपया 38900/- (अड़तीस हजार नौ सौ रूपया) दिनांक 20 अप्रैल 2019 को चालान संख्या 5401/01/डी०के० 02455 के द्वारा तथा आगणित धनराशि का एक प्रतिशत न्याय शुल्क 38900/- (अड़तीस हजार नौ सौ रूपया) दिनांक 20 अप्रैल 2019 को चालान संख्या 5401/01/डी०के० 0253305 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फतेहपुर में जमा कोष किया गया है। शासन द्वारा आवास/उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के कारण जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 तथा नियमावली फरवरी, 2016 में निहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 10 मार्च 2019 की धारा 80(1) के पैरा-4 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत उपरोक्त भूखण्डों में उल्लिखित रकबा 0.809हे० को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी की वर्तमान खतौनी सन् सन् 1423-1428फ० की खाता सं० 00221 की गाटा सं० 1151क/1.012हे० में से प्रार्थिनी माधुरी देवी शिक्षण संस्थान ग्राम अमरसन्डा परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी कन्हैया लाल सिंह निवासी 8/516 इन्दिरानगर जिला लखनऊ का अंश 0.607हे० व गाटा सं० 1151/2 रकबा 0.506हे० में से रकबा 0.202हे० कुल दो कित्ता में रकबा 0.809हे० सम्पूर्ण भाग भूमि में वाहन पार्किंग, ग्रीन पार्क, खेल का मैदान व अर्द्धनिर्मित भवन होने सम्बन्धी सामग्री मौके पर पडी हुई है, जिसे अकृषिक उपयोग में लाया जा रहा है। प्रार्थिनी के हिस्से की भूमि 0.809हे० मू०रा० 07.00 रूपया को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80 तथा नियमावली फरवरी, 2016 में निहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश असाधारण गजट 10 मार्च 2019 की धारा 80(1) के पैरा-4 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत नैरकृषिक घोषित किया जाता है, परन्तु भविष्य में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदनुसार प्रश्नगत भूखण्ड की मा०रा० 07.00 रूपया से मुक्त किया जाता है। आदेश गी प्रति लग निबन्धाक फतेहपुर को निबन्धाक कार्यावाही हेतु एवं तहसीलदार फतेहपुर को अनुपालनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद अमलदरानद संचित राजस्व अभिलेखागार की जाये।

दिनांक:-

(पंकज सिंह)
उप जिलाधिकारी
फतेहपुर-2019

सं० ३६९
२५.५.१९
१२.७.१९
५०० लॉकर
२५.५.१९

सत्य प्रतिलिपि
उपजिलाधिकारी
तह० फतेहपुर, बाराबंकी